वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर
(जिला भूमि सुधार प्रशाखा)

पत्रांकः– ..../जिला भू0सु0, दिनांक.........................

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
वैशाली।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी, हाजीपुर/महुआ एवं महनार।
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हाजीपुर/महुआ एवं महनार।
सभी अंचल अधिकारी, वैशाली जिला।

विषय :– ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के अन्तर्गत आवंटित भूमि से बेदखल किये गये पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु पूर्व निर्धारित समय सीमा दिनांक 01.04.16 से 30.06.16 तक बढ़ाने के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–394(7)/ रा0(अंश), दिनांक 31.03.16

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माह सितम्बर 14 से राज्य भर में **''ऑपरेशन दखल देहानी''** के नाम से आवंटित सरकारी भूमि से बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना चलायी गयी थी, जिसका अवधि दिनांक 31.03.16 तक निर्धारित था।

विभाग के स्तर पर समीक्षोपरान्त पाया गया कि राज्य में चिन्हित बेदखल पर्चाधारियों की संख्या 151040 है। इनमें से अब तक 54185 पर्चाधारियों को दखल कब्जा दिलाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि माह मार्च 16 के अंतिम सप्ताह तक लगभग 71 प्रतिशत पर्चाधारियों का विवरण वेबसाईट पर अपलोड की जा सकी है, जो कि संतोषजनक नहीं है।

दखल दिलाने हेतु पूर्व निर्धारित समय सीमा दिनांक 31.03.16 को बढ़ाकर दिनांक 01.04.16 से 30.06.16 करते हुए निदेश है कि सम्पूर्ण बेदखल पर्चाधारियों की सूची तैयार कर प्रपत्र–1 में एवं बेदखली के मामले की सूची अंचलवार प्रपत्र–2 में जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना है। बेदखली के जिन मामलों में मापी कराकर तथा आपसी सहमति से दखल दिलाने का निदेश है। परन्तु मापी कराने या आपसी सहमति से दखल नहीं मिल पाने की स्थिति में पुलिस प्रशासन के सहयोग से अभियान चलाकर सभी पर्चाधारियों को दखल–कब्जा दिलाना है।

उपरोक्त समयवद्ध अभियान की समीक्षा एवं अनुश्रवण अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता दैनिक रूप से करेंगे।

अतः विशेष शिविर का कार्यक्रम तथा प्रसांगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न है के आलोक में विशेष शिविर का व्यापक प्रचार–प्रसार ध्वनि विस्तारक यंत्र से करेंगे एवं इस कार्य के लिए विकास मित्र, टोला सेवक, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों के प्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग लेकर विशेष शिविर में गहन सर्वेक्षण कर पाये जाने वाले बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाते हुए विहित प्रपत्र–1 एवं 2 में तथा दखल दिलाये गये पर्चाधारियों का प्रतिवेदन प्रतिवेदन–3 में जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए प्रतिवेदन–4 में अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

अनु0– (1) प्रसांगिक विभागीय पत्र की छायाप्रति।
(2) विशेष शिविर कार्यक्रम की प्रति।

विश्वासभाजन,
ह0/–
समाहर्त्ता,
वैशाली।

ज्ञापांक :– 732/जिला भू0सु0, दिनांक :– 7.4.16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भवदीय पत्रांक–394(7)/रा0(अंश), दिनांक 31.03.16 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, वैशाली को अनुलग्नक के प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को प्रतिवेदन की प्रति एवं सी0डी0 के साथ जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
वैशाली।